



सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला  
प्रकरण : संख्या -53/2020 शीर्षक ..... बनाम .....

कार्यवाही प्रकरण

दिनांक  
21/10/20

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र में  
उपरोक्त आदेश/उत्तरों को पत्रावली  
नमूने की शर्तों पर पत्रावली वाले काफिले  
तलाकियात हुए दिनांक 28/10/20 को  
पेश हो।

28/10/20

सादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/  
पीठारीज अधिकारी राजकार्य से पुनः  
भ्रमण/अनुपस्थिति पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश  
की पालना में दिनांक ..... को  
पेश है। 21/11/20

आज्ञा से

8

03/11/20

सादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/  
पीठारीज अधिकारी राजकार्य से पुनः  
भ्रमण/अनुपस्थिति पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश  
की पालना में दिनांक 05/11/20 को  
पेश है।

आज्ञा से

21/11/20 पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्तागण  
वादी अधिवक्ता ने उपस्थित हो प्रकरण में आवेग  
कार्यवाही नहीं चाही जाकर फर्द उद्घोषण या Non Pro  
किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आवेग  
कार्यवाही शेष नहीं होने प्रकरण में विपक्षीगण के  
विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के  
सुमार दो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

वाड में झगले को  
कार्यवाही नहीं  
चाहता हूँ  
Non Pro

M. P. Singh